

दिनांक 20 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी

*53. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

प्रो. सौगत राय:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) समझौता पर हस्ताक्षर करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो आर सी ई पी में भागीदारी को लेकर कोई भ्रम की स्थिति है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल सहित कुछ राज्य सरकारों ने आर सी ई पी में भागीदारी को लेकर अभ्यावेदन दिए हैं/चिन्ताएं जताई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

घ) क्या सरकार ने आर सी ई पी के संबंध में हितधारकों के साथ कोई चर्चा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात व्यापार में गिरावट

678. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

श्री ए. राजा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत एक वर्ष के दौरान देश से होने वाले निर्यात और निर्यात क्षेत्र के ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में पिछले एक वर्ष के दौरान उक्त दोनों में ही गिरावट आई है।

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार देश में नई निर्यात नीति लाने पर भी विचार कर रही है या उसे किसी राज्य से इस मामले में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक लागू हो जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): भारत के व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2017-18 में 303.53 अमेरिकी बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 330.07 अमेरिकी बिलियन डॉलर हो गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.75 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्यात और वृद्धि अनुलग्नक-I पर हैं। भारत के निर्यात क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक/वित्तीय संकट में वृद्धि के कारण वर्ष 2013-14 के बाद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तथापि वर्ष 2016-17 से लगभग तीन वर्षों तक निर्यात दीर्घकालिक आधार पर बढ़ता रहा है और वर्ष 2018-19 में पहली बार कुल निर्यात आधा ट्रिलियन डॉलर से अधिक की नई ऊंचाई तक पहुंच गया है।

(ग): सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-20 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ की गई। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व की निर्यात संवर्धन स्कीमों को तर्कसंगत बनाया गया और दो नई स्कीमों अर्थात् माल के निर्यात में सुधार लाने के लिए भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)' आरंभ की गई। इन स्कीमों के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय थे।
- ii. विदेश व्यापार नीति, 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा 5 दिसम्बर, 2017 को की गई। प्रति वर्ष 8450 करोड़ रु. के वित्तीय निहितार्थ के साथ श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दरों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

- iii. लाजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास का समन्वय करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक नये लाजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन किया गया। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2014 में 54 वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया।
- iv. पूर्व एवं पश्चिमी पोतलदान रुपये निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ किया गया जिससे श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज समकरण प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 2.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया और दिनांक 2.1.2019 से स्कीम के अंतर्गत मर्चेंट निर्यातकों को शामिल किया गया।
- v. व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। विश्व बैंक में "व्यापार करने की सुगमता" में भारत का रैंक वर्ष 2014 में 142 से बेहतर होकर वर्ष 2019 में 63 हो गया तथा "सीमा पार व्यापार" में रैंक 122 से 80 हो गया।
- vi. देश में निर्यात अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)" को प्रारंभ किया गया।
- vii. दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को एक व्यापक "कृषि निर्यात" नीति प्रारंभ की गई जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना तथा कृषि निर्यात को बल प्रदान करना है।
- viii. विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन की उच्च लागत के नुकसान को कम करने के लिए एक नई स्कीम नामतः "परिवहन एवं विपणन सहायता" (टीएमए) स्कीम प्रारंभ की गई है।
- ix. वस्त्र और निर्मितियों के निर्यात को शामिल करते हुए एक नई स्कीम नामतः राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी से छूट प्रदान करने हेतु स्कीम (आरओएससीटीएल) को दिनांक 7.3.2019 को अधिसूचित किया गया जिसके अंतर्गत उच्च दरों पर शुल्कों/करों का रिफंड दिया जा रहा है।

(घ) से (ड.) निर्यात नीति गतिशील है और इसकी समय-समय पर संबंधित लाइन मंत्रालयों/विभागों/राज्यों से प्राप्त इन्पुट्स/सिफारिशों के आधार पर समीक्षा की जाती है। मौजूदा विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के 31 मार्च 2020 को समाप्त होने से पहले नई विदेश व्यापार नीति को जारी किया जाएगा।

20 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारंकित प्रश्न संख्या 678 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्यात

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डालर में)				
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में प्रतिशत परिवर्तन
1	महाराष्ट्र	69731.48	72809.28	4.41
2	गुजरात	66818.03	67412.15	0.89
3	तमिलनाडु	29754.22	30525.91	2.59
4	कर्नाटक	18052.34	17341.29	-3.94
5	उत्तर प्रदेश	13803.90	16289.17	18.00
6	आंध्र प्रदेश	13019.53	14085.63	8.19
7	हरियाणा	13263.41	13833.25	4.30
8	पश्चिम बंगाल	9148.22	10057.13	9.94
9	केरल	7308.07	9834.25	34.57
10	दिल्ली	8713.88	9464.60	8.62
11	तेलंगाना	6568.71	7168.26	9.13
12	राजस्थान	6952.05	7061.61	1.58
13	मध्य प्रदेश	5249.96	6382.37	21.57
14	ओडिशा	7585.01	6303.36	-16.90
15	पंजाब	5788.25	6038.07	4.32
16	उत्तरांचल	1455.46	2351.18	61.54
17	दादरा और नगर हवेली	2051.25	2143.38	4.49
18	गोवा	2103.17	2063.64	-1.88
19	बिहार	1345.31	1640.91	21.97
20	हिमाचल प्रदेश	1221.67	1323.43	8.33
21	झारखंड	1116.53	1252.79	12.20
22	छत्तीसगढ़	1522.70	1244.10	-18.30
23	दमन और दीव	956.98	1053.39	10.07
24	पांडिचेरी	415.05	392.79	-5.36
25	असम	382.35	369.90	-3.26
26	जम्मू और कश्मीर	148.31	196.43	32.45
27	चंडीगढ़	69.93	71.89	2.81
28	मेघालय	85.13	53.86	-36.73
29	सिक्किम	13.96	7.94	-43.15
30	अंडमान और निकोबार	31.46	4.01	-87.26
31	नगालैंड	3.92	2.78	-28.92
32	मणिपुर	1.33	2.66	99.48
33	अरुणाचल प्रदेश	5.32	2.31	-56.63
34	त्रिपुरा	2.36	1.72	-27.13
35	मिजोरम	1.07	1.41	31.67
36	लक्ष्य.द्वीप	0.64	0.41	-35.90
अविनिर्दिष्ट		8835.22	21290.81	145.14
भारत का निर्यात		303526.16	330078.09	8.75

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस; कोलकाता

दिनांक 20 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए
भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

676. श्रीमती संध्या राय:

श्री धनुष एम. कुमार:

श्री जी. सेत्वम:

श्री रेबती त्रिपुरा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में उनतालीसवें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मेले की मुख्य विषयवस्तु क्या है;

(ख) इस मेले में भाग लेने हेतु पंजीकरण कराने वाले प्रतिभागियों/कंपनियों और देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता-ज्ञापनों की अनुमानित संख्या और इससे आने वाले विदेशी विनिमय की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस व्यापार मेले में भारत और विदेश के प्रतिभागियों को बूथों की ऑनलाइन बुकिंग कराने की आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या उन्हें तकनीकी कारणों से बूथों की बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या सुधरात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन देश के अन्य भागों में भी करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में ऐसे व्यापार मेलों से घरेलू व्यापार में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) जी हां, भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), द्वारा 14 से 27 नवंबर, 2019 तक प्रगति मैदान में 39 वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) का आयोजन किया जा रहा है। 'व्यवसाय करने में सुगमता' इस मेले की थीम है।

(ख): इस मेले में प्रतिभागिता करने के लिए पंजीकरण कराने वाले विदेशी प्रतिभागियों/कंपनियों और देशों का विवरण अनुबंध-1 में संलग्न किया गया है।

(ग) यह मेला बी 2 बी और बी 2 सी वाटर्ताओं को सुगम बनाने के लिए मंच प्रदान करता है जिसके फलस्वरूप व्यावसायिक लेने-देन होता है।

(घ) घरेलू निजी प्रतिभागिता ऑनलाइन की जाती है। इस दौरान यदि कोई तकनीकी समस्या आती है, तो जब भी इसकी सूचना प्राप्त होती है, आईटीपीओ द्वारा इसका समाधान कर दिया जाता है।

(ङ.) और (च) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के साथ मिलकर उत्तर-पूर्व में बहु-उत्पाद मेलों का आयोजन करता है। इन मेलों के माध्यम से इस क्षेत्र के व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें व्यवसाय आगंतुकों को सुविधा देना, स्टार्टअप्स की भागीदारी को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल है।

विदेशी प्रदर्शकों की सूची

क्र.सं.	कंपनी का नाम	देश
1	नवी सफी ब्रादरान लि. और नवी एकुची वाल लि	अफगानिस्तान
2	अमिन फरूज़ लिमिटेड और खखे जर काशन लि.	अफगानिस्तान
3	कामरान शफी ट्रेडिंग और मिलाद जेहून सदत लि	अफगानिस्तान
4	इकबाल सपंड जेम स्टोनस और सेमी जेम स्टोनस प्रोसेस और वाहीद अहमद एस/ऑफ मिर्जा मोहम्मद	अफगानिस्तान
5	हसीबुल्लाह रमीज लिमिटेड और खलीद जलील ट्रेडिंग	अफगानिस्तान
6	वालद राशद लिमिटेड और अफगान स्पेहर जहान	अफगानिस्तान
7	टामाडोन कृषि एवं बीज सेवा कंपनी	अफगानिस्तान
8	हाजी मोहम्मद नासेर सोहराबी और पेसरन लिमिटेड	अफगानिस्तान
9	अमानुल्लाह एस/ऑफ ज़ियाउद्दीन	अफगानिस्तान
10	साफी गुप लि	अफगानिस्तान
11	तोबा बसेत ट्रेडिंग लि	अफगानिस्तान
12	किंग लि	अफगानिस्तान
13	मोहम्मद हासीम हुसैन ज़दा लि, शहीम तौहीद करीम ज़दा लिमिटेड और रासेख ट्रेडिंग को लिमिटेड	अफगानिस्तान
14	हाजी रहिम खैर मोहम्मद ज़दा लि	अफगानिस्तान
15	ख्वाजा मोहम्मद अमीन लि.	अफगानिस्तान
16	हमायुन बशीर लि.	अफगानिस्तान
17	तूर्कीस्तान तिमोर जदा लि.	अफगानिस्तान
18	ताक झई फ्रूट कंपनी	अफगानिस्तान
19	बेनाई खेदमत कंस्ट्रक्शन कंपनी	अफगानिस्तान
20	सायेम रऊफ लि	अफगानिस्तान
21	हाजी अमीन सोफीजदा लि.	अफगानिस्तान
22	शादाब इलियास लि.	अफगानिस्तान
23	हमराज लि.	अफगानिस्तान
24	शुएब सोहराब शकीब लि.	अफगानिस्तान
25	सालिम साबिर लि.	अफगानिस्तान
26	आलकोइझे सैफरोन लिमिटेड	अफगानिस्तान
27	फताना बायत ट्रेडिंग, नजमा घाईबी लि, मुरसल मरियाम लि और शेरीन काहरामन हैंडीक्राफ्ट	अफगानिस्तान
28	खावहरन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन, मोसकाह लेदर और बॉल प्रोडक्शन को और शाहीन गोहारी ट्रेडिंग कंपनी	अफगानिस्तान
29	ज्वाक ट्रेडिंग कंपनी और जादरन बेहसूंड लि.	अफगानिस्तान
30	बेनजीर यकता ट्रेडिंग और महमूदजादा वूड इंडुस्ट्री कॉ.	अफगानिस्तान
31	मारजन क्वीन ट्रेडिंग और फ़ोजन हाडी ट्रेडिंग	अफगानिस्तान
32	अरमान साबा लिमिटेड और फरीद एस/ओ मानारीस इंडीवीजुअल ट्रेडर	अफगानिस्तान
33	खानूम रसौली हैंडीक्राफ्ट को. और रेडवीन इंड्यूस्ट्रीयल और प्रोडक्शन कंपनी	अफगानिस्तान
34	मोहेबुराहमन हैंडीक्राफ्ट कंपनी	अफगानिस्तान
35	सदत बानु ट्रेडिंग	अफगानिस्तान
36	गुल ई मूरसाल पेपर प्रोडक्शन फैक्टरी	अफगानिस्तान
37	दानयाल हकीम लॉजीस्टीक्स सर्विसेस	अफगानिस्तान
38	टॉपसेलर केमिकल कं लि	चीन
39	किंगदाओ हेयुनलांग स्पेशल वीडकल कं लि.	चीन

40	शेडोंग शिओया रिटेल इक्विपमेंट क. लि	चीन
41	शेडोंग लिटिलडक ग्रुप लाउंड्री इक्विपमेंट कं, लि	चीन
42	शेडोंग शिओया ग्रुप हाउसहोल्ड अप्लीएन्स कं, लि	चीन
43	शेडोंग शिओया ग्रुप आईएमपी और ईक्सपी कंपनी लिमिटेड	चीन
44	झीबो गोल्ड स्टार स्प्रिंग फैक्टरी	चीन
45	लिओचेंग क्राउन क्राफ्टसमैन मेटल प्रोडक्ट कं, लि	चीन
46	हेज़ फुलीन वूड प्रोडक्ट को. लि	चीन
47	शेडोंग लीटेंग बियरिंग मैन्यूफैक्चरिंग को. लि.	चीन
48	लिओचेंग एनजेडजेडसी बियरिंग मैन्यूफैक्चरिंग को. लि.	चीन
49	लिनक्यूंग झोगताई मशीनरी कं, लि	चीन
50	शेडोंग मैन मशीनरी इक्विपमेंट कं, लि	चीन
51	शेडोंग टेंग गोंग बेयरिंग कं, लि	चीन
52	शेडोंग रेनो इंटरनेशनल ट्रेड को, लि	चीन
53	किंगदाओ बोयूनी केमिकल कं, लि	चीन
54	शेडोंग होयूफू मेचाट्रॉनिक्स टेकनालॉजी कं, लि	चीन
55	शेडोंग शूआनगोंग पिस्टन कं, लि	चीन
56	जिनान बोडोर सीएनसी मशीन क. लि	चीन
57	डीझोउ झोगताई मशीनरी कं, लि	चीन
58	क्यूईनाई (शेडोंग) न्यू मटेरियल कं, लिमिटेड (हेवी रिटर्न ट्रेड लिमिटेड)	चीन
59	शेडोंग एडिशन ट्रेड कं, लि	चीन
60	लिआओचेंग ल्यूशेंग सीएनसी मशीनरी कं, लि	चीन
61	शेडोंग फर्दर बीयरिंग कं, लि	चीन
62	जिनान केलिड मशीनरी कं, लि	चीन
63	शेडोंग तेवाते बीयरिंग कं, लि	चीन
64	किंगदाओ काहट्रेडिग क. लिमिटेड	चीन
65	टॉपसेलन केमिकल कं लि	चीन
66	एमडीवाई ग्लास प्रोडक्ट फैक्टरी	चीन
67	लीनई यानरॉंग ट्रेडिग कं, लि	चीन
68	तेंगझोऊ शेनगलुआन ग्लास प्रोडक्टस कं, लि	चीन
69	तेंगझोऊ शेनगलुआन आर्टस कं, लि	चीन
70	येनताई यीचेंग फाइन केमिकल कं, लि	चीन
71	शेडोंग चर्मिगहोमटेक्सटाईल को. लि.	चीन
72	हेज़ तिआन ली टेक्सटाईल कं, लि	चीन
73	लिनयी वांगोंग इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड कं, लि	चीन
74	वेफांग विसीतों इंपोर्ट एक्सपोर्ट कं, लि	चीन
75	वेफांग मेझीताई बिल्डिंग मटेरियल कं, लि	चीन
76	शेडोंग बोजी इंटरनेशनल ट्रेड कं, लि	चीन
77	टेंझोउ डेशेंग स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स गुड फैक्टरी	चीन
78	शेडोंग पेशिफिक ऑप्टिकस फाइबर और केबल कं. लिं.	चीन

79	शेडोंग झॉंगक्वीन सोलर एनर्जी टेक्नालॉजी कं, लि	चीन
80	शेडोंग बुनानहून्यू एनर्जी साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी कं, लि	चीन
81	किंगदाओ वेईचेंग टेक्सटाइल इन्टरप्राइस कं. लि	चीन
82	शेडोंग एडिसन ट्रेड कं, लि	चीन
83	शेडोंग मॉडर्न बायोलॉजिकल कंपनी लिमिटेड	चीन
84	लिनयी बोधी ट्री सप्लाय चैन मैनेजमेंट कं, लि	चीन
85	शेडोंग चेंगयून इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कं., लि	चीन
86	हांगजो बाँच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कं, लि	चीन
87	अब्बास जमर एलएलसी	दुबई
88	अधुनिका	दुबई
89	अल खलीज हदरमी	कतर
90	अल नूर डायमंड एण्ड ज्वैलरी	दुबई
91	अल तालिब हैण्डिक्राफ्ट और लिनन	दुबई
92	अल थानिया	थाईलैंड
93	अली बाबा टेक्सटाइल ट्रेडिंग एलएलसी	थाईलैंड
94	अलमदार कालीन	थाईलैंड
95	अलता अउरो एशिया लि.	ईरान
96	अनडा लि.	दक्षिण कोरिया
97	अनोंग थाईसिल्क लि. पार्ट	थाईलैंड
98	अरद ड्राई फ्रूट्स	इथियोपिया
99	कूक्कू होम्स लिमिटेड कंपनी	शारजाह
100	क्यूरियो टूर ट्रेवल कंपनी लिमिटेड	दुबई
101	नेपाल का दूतावास	थाईलैंड
102	इंडोनेशिया गणराज्य का दूतावास	हाँगकाँग
103	वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के दूतावास	मलेशिया
104	ईएस इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड	अफगानिस्तान
105	इस्स -कदार मिहरेट यमर	हाँगकाँग
106	फ्लोरल टीआर क. एल एल सी	म्यांमार
107	गोल्डक्रॉस	थाईलैंड
108	गोलियर इंक.	हाँगकाँग
109	गुरुकृपा इंटरनेशनल ट्रेड लिमिटेड	दुबई
110	हाई कॉन्फिडेंस जनरल ट्रेडिंग	ट्यूनीशिया
111	हांगकाँग ह्यूईडा कमर्शियल लिमिटेड	मिस्र
112	हांगकाँग ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल (एचकेटीडीसी)	युगांडा
113	एचटेक एचटार ले जेम्स एण्ड ज्वैलरी	ईरान
114	ईरान पैलेस	कतर
115	जेड कामोल ग्रुप लिमिटेड पार्ट	हाँगकाँग
116	जेएसआर टेक्नोलॉजीज	घाना
117	खासियत एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	बहरीन
118	एमएडी दाउद मोहम्मद अमीन	थाईलैंड
119	मेहर टेक्नोलॉजीज	दक्षिण अफ्रीका
120	मिलानो बाजार	ईरान
121	मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एण्ड कॉमर्स ऑफ अफगानिस्तान	अफगानिस्तान
122	न्यू मैजिस्टीक पैकेजिंग सॉल्यूशन	ईरान

123	नेक्सस्ट गो	ईरान
124	नियावरन कंपनी	ट्यूनीशिया
125	आन डॉट पैकेजिंग सॉल्यूशन पर	दुबई
126	पठ्ठाई इंटरट्रेड क.लि.	बहरीन
127	सदफ मैनफैक्चरिंग	थाईलैंड
128	समेन फूड कंपनी	हॉंगकाँग
129	समसोर बन	तुर्की
130	शादाब इलियास लिमिटेड	हॉंगकाँग
131	शेडॉंग ब्राइटवे इंटरनैशनल एक्सबिशन कं लिमिटेड	थाईलैंड
132	सिल्वर पैलेस एसपी	थाईलैंड
133	सिल्वर स्टार	थाईलैंड
134	सैयद जुनैद आलम डब्ल्यूएलएल	यूके
135	द साउदर्न पर्ल इंटरनेशनल कंपनी	नेपाल
136	तिलो हेदियेलिक एसा सैन.टाइक.एलडीटी	हॉंगकाँग
137	यू-लाइक ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री क.लि.	अफ़ग़ानिस्तान
138	उनीइकान कंपनी लिमिटेड	चीन
139	उसा फ्लोरा	इंडोनेशिया
140	वोंग पिटक एक्सपोर्ट कं लिमिटेड	वियतनाम
141	वर्ल्ड ऑफ़ स्वीट्स	दक्षिण कोरिया
142	वाई सी ईआसन इंटरनैशनल क.	इंडोनेशिया

दिनांक 20 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

आरसीईपी के लाभ

672. श्री थोमस चाज़िकाडन:
श्री नलीन कुमार कटील:
श्री एंटो एन्टोनी:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) को हस्ताक्षरित करने या इस से अलग होने की कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या आरसीईपी पर लोगों ने अत्याधिक आशंका व्यक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस शंका के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; तथा
- (घ) आरसीईपी में शामिल होने की प्रमुख विशेषताओं और लाभों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने हितधारकों की सलाह/अध्ययन सहित देश में कृषि पर आरसीईपी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत किसानों को होने वाले प्रमुख लाभ क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ख): 4 नवंबर, 2019 को बैंकॉक में आयोजित तीसरी आर सी ई पी लीडर्स शीर्ष बैठक के दौरान, भारत ने उल्लेख किया कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) की वर्तमान संरचना इसके मार्गदर्शी सिद्धांतों या भारत की चिंताओं और बकाया मुद्दों का समाधान परिलक्षित नहीं करती है जिसके आलोक में भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में हिस्सा नहीं लिया ।

(ग) से (ङ) : सरकार ने हितधारकों के साथ नियमित परामर्श किया है और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, व्यापार विशेषज्ञों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से निविष्टियां प्राप्त की हैं। घरेलू संवेदनशीलताओं का निराकरण करने के साथ महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करके, संतुलित परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) वार्ताओं में भारत की स्थिति तैयार करते समय इन निविष्टियों पर विचार किया गया है। आरसीईपी का उद्देश्य कृषि उत्पादों सहित इस क्षेत्र में भारत के निर्यातों को बाजार पहुंच उपलब्ध कराना था।

दिनांक 20 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

कृषि उत्पादों का निर्यात/आयात

648. श्री भर्तृहरि महताब:

श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यात/आयात पर समय-समय पर प्रतिबंध लगाने/हटाने के लिए कोई मानदंड अपनाए/अंगीकृत किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात/आयात पर ऐसे प्रतिबंध लगाने/ हटाने के किसानों/ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का कृषि उत्पादों का दीर्घकालिक सतत् और अनुमानित निर्यात/आयात तैयार करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(च) विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यात/आयात पर प्रतिबंध लगाने/हटाने के प्रतिकूल प्रभाव से किसानों/ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) कृषि उत्पादों के लिए आयात-निर्यात नीति, जिसमें अलग-अलग उत्पादों के निर्यात / आयात पर प्रतिबंध हटाने/लगाने का निर्णय करते समय, घरेलू आवश्यकताओं की तुलना में (बफर स्टॉक तथा कार्यनीतिक रिजर्व की आवश्यकता, यदि कोई हो,सहित),अधिशेष की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा की चिंताओं, राजनयिक/मानवतादी विचार, अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति , कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता, उपजकर्ताओं को लाभप्रद कीमतों और आम आदमी को वहनीय कीमतों पर कृषि उत्पादों की उपलब्धता के बीच संतुलन जैसे कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। विगत तीन वर्ष के दौरान प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध, जो कि हाल ही में दिनांक 29 सितंबर,2019 की अधिरोपित किया गया है, के अलावा किसी भी प्रमुख कृषि उत्पाद के निर्यात/आयात पर कोई प्रतिबंध अधिरोपित नहीं किया गया है । इसलिए इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(घ) से (च): दिसंबर,2018 में सरकार द्वारा प्रकाशित की गई, कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य कृषि उत्पादों के लिए एक स्थिर व्यापार नीति बनाना है जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

i) प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों और सभी प्रकार के जैविक उत्पादों को किसी भी प्रकार के निर्यात प्रतिबंध (अर्थात न्यूनतम निर्यात कीमत, निर्यात शुल्क, निर्यात प्रतिबंध, निर्यात कोटा, निर्यात

कैपिंग, निर्यात परमिट आदि) के दायरे में नहीं लाया जाएगा, भले ही प्राथमिक कृषि उत्पाद या गैर-जैविक कृषि उत्पाद को कुछ प्रकार के निर्यात प्रतिबंधों के अंतर्गत लाया जाता है।

ii) संगत हितधारकों और मंत्रालयों के साथ परामर्श करके उन पण्यों की पहचान करना जो खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। चरम कीमत होने की स्थिति में इन अभिज्ञात वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध उच्च स्तरीय समिति के निर्णय पर आधारित होगा। साथ ही, उपर्युक्त अभिज्ञात वस्तुओं पर किसी प्रकार का निर्यात निषेध और प्रतिबंध डब्ल्यूटीओ के संगत तरीके से लगाया जाएगा।

नीति की मंजूरी के परिणामस्वरूप, “अनिवार्य वस्तुओं” पर सचिवों की समिति के अधिदेश का विस्तार किया गया है ताकि कुछ ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर, केवल चरम कीमत की स्थिति में, प्रतिबंध लगाया जा सके जो खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।

दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय निर्यातकों को कर में छूट

636. श्री अजय निषाद:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर सरकार ने विशेषकर भारतीय निर्यातकों को करों में छूट दी है ताकि भारतीय वस्तुओं की बिक्री और खरीद आसान और लाभदायक बन सके;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;
- (ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दी गई छूट का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इस प्रकार की छूट आवश्यक है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी हां मौजूदा वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में, निर्यात पर कोई कर नहीं लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यात के लिए भारत में विनिर्मित माल को घरेलू कर के बोझ की वजह से नुकसान न हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे प्रतिस्पर्धी बने रहे।

इसके अतिरिक्त, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत, शुल्क छूट स्कीमों सुनिश्चित करती हैं कि निर्यात उत्पादों में उपयोग के लिए आयातित/स्थानीय रूप से खरीदी गई निविष्टियों को या तो शुरु से शुल्क छूट प्रदान की जाए या निर्यात के बाद निर्यातकों को शुल्क-वापसी के रूप में करों

का रिफंड किया जाए। मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत दो शुल्क छूट
प्राधिकार-पत्र स्कीम और शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र स्कीम हैं।

(ग) अग्रिम प्राधिकार-पत्र स्कीम और शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र स्कीम के अंतर्गत गत
तीन वर्षों हेतु छूट का विवरण निम्नानुसार है:-

	2016-17	2017-18	2018-19
	जारी किए गए प्राधिकार पत्रों की संख्या	जारी किए गए प्राधिकार पत्रों की संख्या	जारी किए गए प्राधिकार पत्रों की संख्या
अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम	22853	21505	23042
शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र स्कीम	581	815	1321

(घ) और (ड.) इन स्कीमों के अंतर्गत शुल्क से छूट प्रदान करनेक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में
भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित किया जाता है और ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय
प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

दिनांक 20 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

क्षेत्रीय वृहत आर्थिक भागीदारी करार

621. श्री एम.के. राघवन:

श्री पिनाकी मिश्रा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत क्षेत्रीय वृहत आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) का हस्ताक्षरी बन रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अन्य हस्ताक्षरी देशों के क्या नाम हैं;
- (ख) क्या भारत और चीन के बीच और अन्य सदस्य देशों के बीच मतभेद और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं;
- (ग) क्या आरसीईपी चीन हितैषी है जो भारत-अमरीका द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करेगा और अमरीका के साथ व्यापार भी कम करेगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या आरसीईपी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या आरसीईपी भारतीय बाजार के लिए बंधनमुक्त पहुंच की अनुमति देगा और चीन के उत्पादों को भारतीय बाजार में उपलब्ध कराने की भी अनुमति देगा; और
- (च) यदि हां, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को चीन की वस्तुओं के पाटन से बचाना सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष तंत्र है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ख): 4 नवंबर, 2019 को बैंकॉक में आयोजित तीसरी आर सी ई पी लीडर्स शीर्ष बैठक के दौरान, भारत ने उल्लेख किया कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) की वर्तमान संरचना इसके मार्गदर्शी सिद्धांतों या भारत के मुद्दों और चिंताओं को परिलक्षित नहीं करती है, जिसके आलोक में भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में हिस्सा नहीं लिया ।

(ग) से (घ) : जी नहीं । क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) वार्ताओं की आसियान केंद्रीयता को मान्यता देती है। इसका आशय माल और सेवा व्यापार को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के साथ-साथ प्रतिभागियों के बीच निवेश प्रवाह संवर्धित करना था।

(ङ.) से (च): जी नहीं। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में व्यापार उपचारों का प्रावधान था जिसमें पाटन-रोधी नियम भी शामिल हैं । इसके अलावा, भारत संभावित आयात वृद्धि से निपटने के लिए एक स्वचालित ट्रिगर रक्षोपाय तंत्र (एटीएसएम) की मांग कर रहा था ।

दिनांक 20 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

दार्जिलिंग चाय

564. श्री राजू बिष्ट:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दार्जिलिंग चाय की गुणवत्ता की जांच हेतु निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला को जलपाईगुड़ी स्थानांतरित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला को उस पर्वतीय क्षेत्र से जो विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत एक अनूठा भौगोलिक स्थल माना जाता है, हटाकर दूरस्थ जलपाईगुड़ी स्थानांतरित करना " दार्जिलिंग चाय" की गुणवत्ता-जांच में किस प्रकार से सहायक होगा; और

(ग) 'दार्जिलिंग चाय' की साख बचाने हेतु इसके नाम पर बिकने वाली सस्ती और अन्य क्षेत्रों की चाय की बिक्री को रोकने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हो?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): दार्जिलिंग चाय का अन्य क्षेत्रों की सस्ती चाय से बचाव करने के लिए, चाय बोर्ड ने दार्जिलिंग व्यापार श्रृंखला एकीकरण प्रणाली की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत दार्जिलिंग चाय के लेन-देन/विक्रय के लिए चाय बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक है। अब तक दार्जिलिंग चाय के बेचे जाने वाले प्रत्येक पैकेट की 100 % चाय अनिवार्य रूप से दार्जिलिंग से ही मंगवाई जाती है। इसके अतिरिक्त, चाय बोर्ड ने दार्जिलिंग चाय बेचने की इच्छा रखने वाले पैकर्स के लिए लेबलिंग दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।

दिनांक 20 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

आईआईएफटी की स्थापना

507. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विशाखापट्टनम में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी नहीं । तथापि, आईआईएफटी काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा आबंटित 25 एकड़ भूमि पर एक परिसर की स्थापना कर रहा है। काकीनाडा में परिसर की योजना को ध्यान में रखते हुए, विशाखापट्टनम में अन्य परिसर का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

विमुद्रीकरण से पूर्व/बाद का निर्यात ब्यौरा

501. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विमुद्रीकरण से पूर्व/बाद के तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत से निर्यात का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

विमुद्रीकरण से पूर्व और बाद के तीन वर्षों का भारत का समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं) निम्नानुसार है:—

वर्ष	मूल्य (अमरीकी बिलियन डॉलर में)
2013-14	466.23
2014-15	468.46
2015-16	416.60
2016-17 (विमुद्रीकरण का वर्ष)	440.05
2017-18	498.63
2018-19	538.07
2019-20 (अप्रैल—सितम्बर)*	266.63

*अनंतिम, स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस कोलकता और आरबीआई।

दिनांक 20 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

कॉफी तथा मसाला बागानों को क्षति

497. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या क्षेत्र में भारी वर्षा तथा बाढ़ को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक तथा केरल राज्यों में कॉफी तथा मसालों के बागानों को होने वाली क्षति का कोई मूल्यांकन हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का कॉफी तथा मसाले उगाने वालों को कोई प्रोत्साहन देने का विचार है ताकि उन्हें बागानों को स्थापित करने में मदद मिले तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षति का मूल्यांकन करने तथा उपर्युक्त उपायों का सुझाव देने के लिए कोई कार्यबल गठित किया है तथा यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) कॉफी तथा मसाला उत्पादकों द्वारा वित्तीय स्थिरता प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने में लगभग कितना समय लगेगा?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : कॉफी बोर्ड की प्रसार टीमों ने कर्नाटक और केरल दोनों राज्यों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभिक सर्वेक्षण (चालू वर्ष) किया, जिससे कि बाढ़ / भूस्खलन के कारण कॉफी बागानों को और समय से पहले फल गिरने तथा फंगल रोग से खड़ी कॉफी फसल को होने वाली क्षति का अनुमान लगाया जा सके। कर्नाटक राज्य में प्रारंभिक आकलन के अनुसार, 2,26,244 हेक्टेयर के कुल उपजाऊ क्षेत्र में से लगभग 97,365 हेक्टेयर क्षेत्र में 33% से अधिक की फसल हानि से प्रभावित होने और 620 हेक्टेयर क्षेत्र भूस्खलन / बाढ़ से प्रभावित होने की सूचना है। केरल में लगभग 850 हेक्टेयर क्षेत्र में 33% से अधिक की फसल हानि से प्रभावित होने की सूचना दी गई है और लगभग 16 हेक्टेयर बागान भूस्खलन / बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

बागवानी निदेशालय, कर्नाटक द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, इस वर्ष भारी बारिश के कारण राज्य में 33% से अधिक फसल को नुकसान हुआ, इससे काली मिर्च की 11502 हेक्टेयर, अदरक की 3184 हेक्टेयर, हल्दी की 573 हेक्टेयर और मिर्च की 25891 हेक्टेयर फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है।

केरल में, कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग ने भारी बारिश के कारण फसल की क्षति का आकलन किया। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मसालों की फसलवार जानकारी नीचे दी गई है:

फसल	कालीमिर्च	जायफल	अदरक	इलायची	लौंग	संपूर्ण
प्रभावित क्षेत्र (हे)	40.23	88.67	13.25	25.08	0.56	167.79
प्रभावित किसान (सं)	3074	3542	456	530	56	7658

स्रोत: सुपारी एवं मसाला निदेशालय

इसके अतिरिक्त, कुर्ग जिले में भारी बारिश के कारण इलायची के बागानों को हुई क्षति के आकलन में मसाला बोर्ड ने कर्नाटक राज्य सरकार की सहायता की थी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, इलायची के लगभग 1800 हेक्टेयर बागान 33% से अधिक की फसल हानि से प्रभावित हुए हैं। यह रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ख) : राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के मौजूदा प्रावधानों के तहत, 33% और उससे अधिक फसलों की हानि होने पर कृषि फसलों, बागवानी फसलों, वार्षिक रोपण फसलों, बारहमासी फसलों और सेरीकल्चर के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। बारहमासी फसलों के लिए सहायता का मानदण्ड प्रति हेक्टेयर 1,8,000 रुपये है।

(ग) : कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड और सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय ने प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली क्षति की सीमा का आकलन करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान किसी भी कार्यबल का गठन नहीं किया है।

(घ) : कॉफी और मसालों को आर्थिक उपज के लिए रोपण के बाद कम से कम 3-4 साल का समय चाहिए होता है।

**दिनांक 20 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए
संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध**

492. श्री अजय मिश्र टेनी:

श्री खगेन मुर्मु:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार युद्ध को देखते हुए भारतीय निर्यातक ऐसे बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं जहां भारतीय निर्यात के लिए अधिक संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय निर्यात उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): अमेरिका और चीन के बीच मौजूदा व्यापार गतिरोध और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी का प्रभाव भारत सहित देशों के आयात और निर्यात पर होने की संभावना है, और उनके द्विपक्षीय व्यापार करने के तरीके में बदलाव आ सकता है।

संयुक्त राज्य और चीन के बीच प्रतिकारी प्रशुल्क ने चीन और अमेरिका को भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए अवसर का सीमित विकल्प प्रदान किया है, विशेष रूप से उन उत्पादों में जिनमें भारत भी प्रतिस्पर्धी है।

वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों को भारत का निर्यात बढ़ा है। हालांकि, उस यथार्थ मात्रा का इस समय सही-सही पता लगाना संभव नहीं है कि इस अमेरिका-चीन व्यापार गतिरोध के प्रभाव से निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है तथापि, इस वृद्धि के लिए आंशिक रूप से इस तथ्य को उत्तरदायी माना जा सकता है कि कुछ भारतीय उत्पादों ने प्रतिस्पर्धी चीनी उत्पादों पर उच्च शुल्क के कारण यूएस बाजार में तथा इसी तरह चीन की बाजारों में पहुँच प्राप्त कर ली है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को किए गए निर्यात का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है: -

देश	निर्यात मूल्य मिलियन अम.डा			
	2016-17	2017-18	2018-19	अप्रैल-सितंबर'19 *
चीन पी आरपी	10172.41	13334.42	16752.80	8483.20
यूएसए	42216.48	47882.34	52427.52	26734.20

* 2019-20 के लिए डेटा अनंतिम है और परिवर्तन के अधीन है।

स्रोत डीजीसीआईएस

सरकार ने अमेरिका और चीन के बीच चल रहे प्रशुल्क गतिरोध से उत्पन्न इस अवसर का लाभ उठाकर निर्यात बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए सभी व्यापार संवर्धन निकायों को संवेदनशील बनाया है। भारत इस अवसर का किस सीमा तक लाभ उठा सकता है, वह अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिनमें चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के समान उत्पादों की तुलना में इसके अपने उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और पर्याप्त निर्यात योग्य अधिशेष का सृजन, बाजार पहुँच आदि जैसे अन्य कारक शामिल हैं।

दिनांक 20 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए
निर्यातकों को विदेशी मुद्रा ऋण

487. श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निर्यातकों को सस्ती दरों पर विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हां,

(ख) और (ग) : सरकार बैंकों को उनके निर्यात-ऋण-वितरण पर उच्च बीमा कवरेज देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और आशा है कि इससे बैंक निर्यात ऋण की अपनी ऋण दर को संशोधित कर सकेंगे और ब्याज की सस्ती दर पर निर्यातकों को विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान कर सकेंगे।

यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

‘क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी’ के संबंध में 20 नवंबर, 2019 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 53 के भाग (क) से (इ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख) : 4 नवंबर, 2019 को बैंकाक में आयोजित तीसरे आरसीईपी लीडर्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कहा कि आरसीईपी की वर्तमान संरचना में आरसीईपी दिशानिर्देश सिद्धांतों को नहीं दर्शाया गया अथवा भारत के प्रमुख मुद्दों एवं चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया है जिसके मद्देनजर भारत इस स्तर पर आरसीईपी का भाग नहीं बना।

(ग) और (घ) : सरकार ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) में भारत की स्थिति बनाने के लिए इनपुट लेने हेतु उद्योग, निर्यातकों एवं व्यापार विशेषज्ञों के साथ नियमित रूप से हितधारकों से परामर्श आयोजित किए। केरल सहित कुछ राज्य सरकारों ने विशिष्ट इनपुट उपलब्ध कराए हैं जिन्हें वार्ता के दौरान ध्यान में रखा गया।

(इ) : भारत द्वारा हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और अधिमानी व्यापार समझौतों (पीटीए) का ब्यौरा ‘अनुबंध-1’ पर दिया गया है।

अनुबंध-1

क. पहले से लागू एफटीए

क्रम.सं.	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख	समझौते के कार्यान्वयन की तारीख
1.	भारत - श्रीलंका एफटीए	28 दिसंबर, 1998	1 मार्च, 2000
2.	एसएफटीए पर समझौता (भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान)	4 जनवरी, 2004	1 जनवरी, 2006 (1 जुलाई, 2006 से प्रशुल्क रियायतें शुरू)
3.	भारत नेपाल व्यापार की संधि	27 अक्टूबर, 2009	संधि आगे के 7 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है और वर्तमान में 26 अक्टूबर, 2023 तक लागू है।
4.	व्यापार वाणिज्य और पारगमन पर भारत - भूटान समझौता	17 जनवरी, 1972	पारस्परिक सहमति पर संशोधनों के साथ आवधिक रूप से समीक्षा की गई। दिनांक 29 जुलाई, 2006 का समझौता 10 वर्षों के लिए वैध था। पारस्परिक सहमति से वैधता 1 वर्ष की अवधि के लिए अथवा प्रस्तावित नए अनुबंध के लागू होने की अवधि तक बढ़ा दी गई थी। नवीकृत समझौते पर 12.11.2016 को हस्ताक्षर हुए और 29 जुलाई, 2017 से यह लागू है।
5.	भारत - थाईलैंड एफटीए - प्रारंभिक हार्वेस्ट योजना (ईएचएस)	9 अक्टूबर, 2003	1 सितंबर, 2004
6.	भारत - सिंगापुर सीईपीए	29 जून, 2005	1 अगस्त, 2005
7.	भारत - एशियान- सीईपीए - माल, सेवाओं और निवेश समझौते में व्यापार (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम)	13 अगस्त, 2009 वस्तुओं के लिए और नवंबर, 2014 सेवाओं और निवेश के लिए	वस्तुएं भारत और मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के संबंध में 1 जनवरी, 2010 भारत और वियतनाम के संबंध में 1 जून, 2010 भारत और म्यांमार के संबंध में 1 सितंबर, 2010 भारत और इंडोनेशिया के संबंध में 1 अक्टूबर, 2010 भारत और ब्रुनेई के संबंध में 1 नवंबर, 2010. भारत और लाओस के संबंध में 24 जनवरी, 2011 भारत और फिलिपीन्स के संबंध में 1 जून, 2011 भारत और कंबोडिया के संबंध में 1 अगस्त, 2011 सेवा और निवेश 1 जुलाई, 2015
8.	भारत - दक्षिण कोरिया सीईपीए	7 अगस्त, 2009	1 जनवरी, 2010
9.	भारत - जापान सीईपीए	16 फरवरी, 2011	1 अगस्त, 2011
10.	भारत - मलेशिया सीईपीए	18 फरवरी, 2011	1 जुलाई, 2011

ख. पहले से लागू पीटीए

क्रम.सं.	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख	समझौते के कार्यान्वयन की तारीख
1.	एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए) (बांग्लादेश, चीन, भारत, कोरिया गणराज्य, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और श्रीलंका)	जुलाई, 1975 (2 नवंबर, 2005 को संशोधित)	1 नवंबर, 1976
2.	व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी) (अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बेनिन, बोलीविया, ब्राजील, कैमरून, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इक्वाडोर, मिस्र, घाना, गिनी, गुयाना, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, लीबिया, मलेशिया, मेक्सिको, मोरक्को, मोजाम्बिक, म्यांमार, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, सिंगापुर, श्रीलंका, सूडान, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, ट्यूनीशिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम, युगोस्लाविया, जिम्बाब्वे)	13 अप्रैल, 1988	19 अप्रैल, 1989
3.	सार्क अधिमान्य व्यापार समझौता (एसएपीटीए) (बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका)	11 अप्रैल, 1993	7 दिसंबर, 1995
4.	भारत - अफगानिस्तान	6 मार्च, 2003	13 मई, 2003
5.	भारत - (एमईआरसीओएसयूआर) (अर्जेंटीना, ब्राजील, परागुआ और उरुग्वे)	25 जनवरी, 2004	1 जून, 2009
6.	भारत - चिली	8 मार्च, 2006	11 सितंबर, 2007 । समझौता 6 सितंबर, 2016 को बढ़ाया गया और 16 मई, 2017 से लागू हुआ।
